

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद शामली।

पत्र संख्या:-ज0सू0-सैल/2021

दिनांक-जुलाई ,2021

सेवा में,

अपर पुलिस माहनिदेशक,  
कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक,  
मेरठ जोन, मेरठ।

कृपया आप अपने पत्रांक:एमजैड-आर.टी.आई.(विविध)/2020/10274 दिनांक जुलाई 03, 2021 के साथ संलग्न मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ। के पत्र संख्या: डीजी-14-ज0सू0अ0-वार्षिक प्रतिवेदन/2020 दिनांक 30.06.2021 के साथ संलग्न श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अनु सचिव गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-439/छ:-पु0-15/2021 दिनांकित 15.06.2021 के साथ संलग्न श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-02, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-253/43-2-2021, दिनांकित 24.05.2021 के पत्र संख्या:टीएससी-142/2012(IX)/148 दिनांकित 07.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी में प्रदत्त 17 बिन्दुओं की समस्त सूचनाओं को प्रत्येक जनपदों/इकाईयों में ऑनलाईन आवेदनों/प्रथम अपीलों के प्राप्त किये जाने हेतु नामित रोल अधिकारीगणों द्वारा निरन्तर अपडेट कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

जो जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अघावधिक अपलोड करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

अतः सादर अवगत कराना है कि जनपद शामली से जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 24 -07-2021 को 17 श्रेणियों की सूचना अपलोड कर दी गयी है।

**सलंगनक यथोपरि:-**

अपर पुलिस अधीक्षक/  
नोडल अधिकारी जन सूचना  
जनपद शामली।

**प्रतिलिपि:-**जनसूचना अधिकारी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

.1.

## सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

### जनपद शामली।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी के अनुसार जनपद शामली के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

#### 1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके जीवन अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उप बन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिकृतित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लों व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के सम्स्त वर्गों में सदभाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना, लोक जमावों और जुलुसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों अत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियुत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। जनपद में कुल 01 पुलिस अधीक्षक, 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 03 पुलिस उपाधीक्षक एवं 09 थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी शामली/कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कैराना क्षेत्राधिकारी भवन/लाईन कार्य करते हैं।

#### 1. जनपद में पुलिस का संगठन-

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है-

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी शामली/कार्यालय	1. शामली कोतवाली 2. आदर्शमण्डी 3. महिला थाना 4. समस्त शाखा पुलिस कार्यालय यातायात
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी कैराना	5. झिंझाना 6. कैराना 7. कौंधला
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी भवन	8. बाबरी 9. थाना-थानाभवन 10. गढीपुख्ता/ 11. पुलिस लाईन

.2.

1. जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षक अधिकारी ।

क्र० सं०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1.	वायरलेस शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
2.	स्थानीय अभिसूचना ईकाई	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
3.	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
4.	वी०आई०पी०	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
5.	पुलिस लाईन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
6.	भवन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
7.	पत्र व्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
8.	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
9.	नगर नियंत्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
10.	फायर सर्विस	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
11.	फील्ड यूनिट	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
12.	आंकित शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
13.	विशेष जाँच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
14.	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
15.	डी०सी०आर०बी०	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
16.	समस्त सैल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधीकारी सदैव कर्तव्यरुद्ध रहेगा । और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियम एवं कानूनो तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पाद करें, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये ।

## 2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य

पुलिस अधिकारी, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है:-

### 2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7.	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रिक अधिकाारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जाते हैं।
17.	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कते सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22.	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारुढ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भाग में नियोजित किया जा सकता है ।
23.	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षण प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, गुप्त वार्ता का संग्रह करें अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाने तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें जिनको गिरफ्तार करने के लिये वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्.यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा ।
25.	लावारिश सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे ।
30.	लोक जमावों और जुलुसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति ।
30क.	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलुस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति ।
31.	सार्वजनिक सडको व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बनाये रखने का कर्तव्य ।
34.	किसी व्यक्ति द्वारा किसी पशु का वध करने उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कूड़ा फेकेने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लो ।
34क.	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47.	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी सव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाने हैं पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे पुलिस लाईन का निरीक्षण करना चाहिए आबकारी विषयों पर आयोजित वार्षिक समारोहों में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यकता है। पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों सले यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने सम्बन्धित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुशरण किया जाना चाहिए।
17 अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक, के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी व हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन के भार साधन अधिकारी होते हैं जो कि साज सज्जा, अनुशासन प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइस्पेक्टर	रिजर्व सब इस्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड व एंव स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इस्पेक्टर	सर्किल इस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जाँच पडताल की देख भाल और अपराध का निवारण पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामान्यजस्य रखना थानों का निरीक्षण करना सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाईन्सेंसी दुकानों का निरीक्षण करना अधीनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना अपराधों का दमन और सामान्यजस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना(वर्तमान में सर्किल इस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)

43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की थानाध्यक्ष सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है वह सभी रजिस्ट्रो, अभिलेखों विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थो के प्रति दायित्वाधीन होगा उसे क्षेत्र के सभी सम्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मंत्रीपूर्ण सहयोग सुनिच्छित करना समुचित तरीके से करते रहना चाहिए थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कास्टेबिल थाने का भार साधन अधिकारी होगा किन्तु वह तफरीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सोपे गये समस्त निर्देशो को अधीनस्थो को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 हैड मोहर्रिर	हैड मोहर्रिर के कर्तव्य- 1- रोजनामचा आम और अपराधो की प्रथम सूचना लिखना। 2- हिन्दी रोकड बही( पुलिस फार्म नं0224) 3- यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओ पर नम्रता पूर्वक विचार करता नाहिए उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियोस कोष तथा मालखाना एवं थाने के एन्य सम्पत्तियो की रक्षा करेगा बीट कान्स0 के रुप से संदिग्ध अपराधिये फारा अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रुप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुडसवार	घुडसवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभारधीन गांवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्रतिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार करने का दायित्व होता है।

## 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द.प्र.सं. की धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधन अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उससे सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ। 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3. उद्धोषित अपराधी। 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा। 6. सशस्त्र बलों का भगोडा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जाती है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्रधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना किइसेक निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों ओर जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अक्रामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारीता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारीयों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
100	बन्द स्थान के ग़बार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है तलाशी लेने देगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी करी हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारीयों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।

131	जमाव को तितर बितर करने लिए सशस्त्र बल के राजपत्रिक अदाकारियों का शक्ति ।
	धारा 129,130,131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकाकी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा ।
150	संज्ञेय अपराध के किये जाने की परकल्पना की सूचना ।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी की अधिकार ।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार ।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/अधिग्रहण ।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर ज्ञाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी । भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अधिलिखित करने से इंकार करने परर किसी व्यक्ति द्वारा संबन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है ।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा ।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजनों के लिए आवश्यक हो । तलाशी एवं जाफती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा ।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति ।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोडा जाना ।
170	जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना ।
172	अन्वेषण में की गई कार्यवाहीयों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना ।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना ।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना ।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजनो से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति ।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी ।



#### 2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिसजनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

- 1 गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टीकाधारण की जानी चाहिए गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाय।
- 2 गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे तथा एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
- 3 पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।
- 4 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
- 5 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित करने को बह अधिकृत है।
- 6 गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में भी अंकित किया जायेगा।
- 7 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
- 8 गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डॉक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
- 9 गिरफ्तारी के सभी अधिलेखों की प्रतियाँ क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
- 10 जॉच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
- 11 गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

**2.51 कर्तव्य**

**2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यावाही संबंधी:-**

1 संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरोती हेतु अपरहण, रोड होल्डप, बैंक डकैती, आलोलिफटर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हवाला व्यापार करने वाले नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनायें एकत्रित कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।

2 पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।

3 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

4 संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछताछ आख्या तैयार करना।

**2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी:-**

1 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।

2 फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरुष्कार घोषित करवाना।

**2.5.1.3 अपराधी अभिसूचना का एकत्रीकरण:-**

1 पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु स्रोत बनाना।

2 जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।

3 जेल से छूटने वाले अपराधियों की निगरानी।

4 अन्य माध्यमों से अपराधियों अभिसूचा एकत्रीकरण।

**2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबन्ध में**

1 समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

2 क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।

3 क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2, अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसे हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरोती, अपरहण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैरेस्टर एक्ट को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य. क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वयस्थापित करना।

र. फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल. क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रुम करना।

**2.5.1.5 अभियोजन**

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहररि की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

**2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षक के अधिकार**

**2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी –**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: एक-252-84 दिनांक: 8.01.1985 के प्रस्तर बिन्दु सं0 4 में बोर्ड/चेक निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबन्ध में की जायेगी।

**2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य –**

शासनादेश संख्या:- 1460/छ:-पु-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

**2.5.2.3 दण्ड सम्बन्धी:-**

अपर पुलिस अधीक्षक प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है, परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उससे अपेक्षित कर्तव्य-

संसद व विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

2 निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर-

**3.1 अनुसंधान/विवेचना**

क्र०सं०	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र०सू०रि०का पंजीकरण	151 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचनादाता को निशुल्क दी जायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कर करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2	साक्षियों का परिक्षण	161 द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
3	अन्वेक्षण द्वारा घटना का निरीक्षण	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित यथाशीघ्र क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०सं० के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्शा नजरी तैयार करना	द०प्र०सं० के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी		
8	संस्वीकृति का लिखा जाना		
9	पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना		
10	तलाशी		
11	निरुद्धि		
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना		
13	आरोप पत्र को दाखिल करना		

**3.2 नियंत्रण कक्ष**

.10.

जनपद के नियंत्रण कक्ष कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करना है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्या करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियंत्रण कक्ष स्थापित है।

क्र०सं०	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं०	कार्य
1	जिला नियंत्रण कक्ष शामली	01398-250820 9454405124	जनपद के अन्तर्गत स्थित 09 थानों में सुचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष कोतवाली नगर परिसर में स्थित है। जनपद में आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व जिला नियंत्रण कक्ष का होता है।
2	फायर नियंत्रण कक्ष	01398-250062 9454418787	जनपद शामली में फायर नियंत्रण कक्ष स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियंत्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इन नियंत्रण कक्षों पर 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लॉक किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	थानों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी उपस्थित क्लर्क कां० द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
3	प्रार्थना पत्र को जन शिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
4	जॉच अधिकारी नियुक्त करना व जॉच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी/ दिवसाधिकारी द्वारा	तत्काल
5	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जर्नाल करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	3 दिवस में
6	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जॉच रिपोर्ट पर अग्रेत्तर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, करना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा	01 वर्ष तक

## 3.32 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गोपनीय कार्यालय में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	पुलिस अधीक्षक/निमित्त राजपत्रित अधिकारी	01 दिवस
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक	01 दिवस
4	प्रार्थना पत्रों को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जांच हेतु रवाना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जांच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	02 दिवस
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में कान्स० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कान्स० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जांच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जांच हेतु भेजना ।	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना ।	जांच अधिकारी द्वारा	8 दिवस में
9	थानाध्यक्ष द्वारा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना ।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने पर जांच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना ।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कान्स० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.33 पुलिस अधीक्षक को शासन, ओयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया –

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जांच हेतु आदेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्रों को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जांच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा	01 दिवस
3	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वम जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा	07 दिवस
4	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
5	पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस
6	जांच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के का० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.34 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: 2021पी/छ:-पु-3/2005, दिनांक 21-06-2005 गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के अनुसार थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने से मिलने के समय केवल पीडीत पक्षल अपना पक्ष प्रस्तुत करना है परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि दोनो पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड भेद की निति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाए इसके लिये थाना सर्माधिक उपयुक्त स्थल हो सका है क्योंकि अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, सर कश व्यक्तियों द्वारा उत्पीडन शारीरिक हिंसा तथा जोर जबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
2. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भावना विघमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहें इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/सजिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उन में

थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी ओर थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।

3 इन उद्देश्यों की पूर्ती हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

- (क) प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस जिन समस्त राजस्व एवं पुलिससंरक्षकों थाने पर उपस्थित रहेंगे।
- (ख) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नैतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोलर बनाया जाय जो प्रत्येक त्रैमास पर बदला जाया करेगा।
- (ग) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी0डी0 में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।
- (घ) जिन मामलों में मौका मुयायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित करके मौके पर भेजी जायेगी। महत्त्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें मौके पर जायेंगी और मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष की आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे।
- (ङ) थाना पंचायत दिवस प्रधानों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
- (च) थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को हिल सके, इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
- (छ) इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

### 3.35 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

क्र0सं0	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षक (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2	पेटी/डीजल (फुटकर डीजल/पेट्रोल)	जिलाधिकारी अधिकारी से	अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिमेमा हाल	जिलाधिकारी/मनोरंजन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/लाज/रेस्टोरेन्ट/धर्मशाला	जिलाधिकारी/पर्यटन अधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यवसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/आवास विकास निग	उपरोक्त	उपरोक्त
8	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

**3.36 जनपद शामली में यातायात नियम:-**

जनपद शामली में यातायात डाईवर्जन करने के लिये कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं है लेकिन विषम परिस्थितियों में यातायात को निम्न मार्गों में से डाईवर्जन किया जा सकता है।

1. जिन वाहनों को राष्ट्रीय मार्ग एन0एच0709ए से मेरठ से शामली से करनाल, पानीपत (हरियाणा) जाना है वो वाहन चौकी गढी शेखावत थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर से वाया कांधला, कैराना, होते हुए पानीपत करनाल आ सकते है।
2. जिन वाहनों को करनाल हरियाण से होते हुए मेरठ, गाजियाबाद जान है वह झिंझाना, गाडीवाला चौक से वाया कैराना, कांधला होकर मेरठ रोड राष्ट्रीय मार्ग 709A से जा सकते है।
3. करनाल हरियाणा से आने वाला वाहन जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर की तरफ जाता है वह झिंझाना गाडीवाला चौराहा से वाया ऊन थानाभवन से होकर जा सकते है परन्तु अभी थानाभवन में स्थित सेलवे लाईन पर अण्डर बाईपास पर कार्य प्रगति पर है।
4. जनपद शामली में परिवहन विभाग द्वारा शामली परिवहन विभाग का एक ही बहुत छोटा बर स्टैन्ड शहर के अन्दर है तथा बसों की संख्या अधिक होने के कारण व बस स्टैण्ड की क्षमता कम होने के कारण अदिक बसें का संचालन शहर के अन्दर मुख्य चौराहों से ही होता है।
5. जनपद शामली में सिटी बसो के संचालन की व्यवस्था नहीं है।
6. जनपद शामली के अन्दर नगर परिवहन द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्सी या टैम्पू स्टैण्ड निर्मित नही है और ना ही कोई टैक्सी या टैम्पू स्टैण्ड की कोई व्यवस्था है।

3.3.6.1 प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र सं0 681/6-पु0-2-2006-200(3)94-टीसी दिनांक 29.06.2006 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अभिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना-

**एम0वी0एक्ट विभिन्न धाराएं एवं उनका निर्धारित शमन शुल्क**

क्र0सं0	अपराध का विवरण	एम0वी0एक्ट धारा	प्रथम अपराध पर शमन शुल्क	द्वितीय अथवा बार-बार अपराध करने पर
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाईसेंस गाडी चलाना	3/181	5000	5000
2	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाडी चलाना या उससे चलवाना	4/181	2500	2500
3	विना पंजिकरण गाडी को चलाना	39/192	5000	10000
4	वाहन चलाते समय मोवाईलफोन/ईयरफोन का उपयोग करना	21(25)CMVR	1000	10000
5	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाडी चलाना	66/192	10000	10000
6	निर्धारित गति सीमा से अधिक गती गाडी चलाना(हल्के वाहन)	112/183(1)	2000	अशमनीय
7	वाहन में अनाधिकृत हस्तक्षेप या उसके रंग-रूप से छेड-छाड करना	115/198	1000	-
8	वैधानिक प्रतिबन्धो का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115/194	20000	-
9	दोष पूर्ण नम्बर प्लेट या बिना नम्बर के वाहन चलाना	50.51CMVR	300	500
10	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	179(2)	2000	2000
11	चार पहिया यान के ड्राईवर तथा आगे का सीट पर बैठी	138(3)	1000	-



	सवारी द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न किया जाना			
12	यातायात के नियम का उल्लंघन एवं बिना संकेतो के लेन/गली बदलना	119/177	500	1500
13	विधि प्रयुक्त नियमो का उल्लंघन करना/विधि के निर्देशो का पालन न करना	179(1)	2000	-
14	खतरनाक दशा में गाडी खडी करना जिससे यातायात बाधित हो	122.126/177	500	1500
15	अनाधिकृत व्यक्ति को अपना वाहन देना	5/180	5000	-
16	निर्धारित गति सीमा से अधिक गती गाडी चलाना(बडे वाहन)	112/183(2)	4000	अशमनीय
17	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128/177	1000	-
18	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना	129/177	1000	-
19	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाडी के कागज मांगने पर पैशन करना	130/177	500	1500
20	मदिरा/मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाना	185	2000	3000
21	खतरनाक तरीके से वाहन चलाना	184	2500	-
22	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वल्थ व्यक्ति से वाहन चलवाना	186	1000	2000
23	सार्वजनिक स्थान पर अपजिकृत वाहन या अन्य मीटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करना	190(2)	10000	10000
24	अन्य व्यक्तिय को ड्राइविंग लाईसेंस देना	6(2)/177	500	1500
25	12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर	47/177	500	1500
26	बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना	146/196	2000	4000
27	परिवहन वहानो में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर	28/177	1500	1500
28	मीटर केब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर	166(a)/177	500	1500
29	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाईसेन्स पारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए अहर्त्य न हो	182(1)	10000	-
30	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा अनुक्षा पत्र में (अनुमोदित से भिन्न) यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर	135/194(क)	200रु प्रतियात्री	-
31	वाहन चलाते समय जो कोई व्यक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनावश्यक रूप से या आवश्यक से अधिक या निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है।	194(च)	1000	2000
32	इमरजेन्सी वाहनों तथा एम्ब्यूलेस अग्निशमन यान इत्यादि को साइड या रास्ता न देने पर	194(ड)	1000	-

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के है0का0(प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समाप्त अधिकारियों में निहित है।

अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां का जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन करने हेतु उपस्थित नहीं होता है जो संबन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम का धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

### **3.37 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया**

3.37.1 एफ0आर0ओ0(विदेशी पंजीकरण अधिकारी ) के संबंध में जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बांग्लादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य है।

#### **(अ) विदेशा शाखा/विदेशी नागरिकों के संबंध में:-**

पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों को मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं जनपद में विदेशी नागरिकों 02 प्रकाश के बीजा अवधि पर आते हैं एक जो 180 दिन के कम के बीजा पर दुसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1)180 दिन से कम बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहा ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2)180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक (एफ0) वि0शा0 अभि0 वि0 उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है। विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ में निहित होता है।

#### **(ब) पाकिस्तानी/बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में:-**

पाक/बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी करते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथॉरटी/एस0एस0पी0 की होती है।

पाक/बी0डी0 नागरिकों की वीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथॉरटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को इक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा में सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होती है।

#### **3.3.7.2 पासपोर्ट**

(अ0 कार्यवाही का चरण:- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्नस्थानों पर जमा कर सकते हैं।

- 1 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय गाजियाबाद।
- 2 कार्यालय जिलाधिकारी शामिल।

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 व हे0का0(प्रो0) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जनसमं आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जांच की जाती है तथा वेयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तताके विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि0 मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदन को प्राप्त कराये जाते हैं।

**(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षत:- आवेदन पत्र जमा हेने के पश्चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।**

- (1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।
- (2) जनपद पुलिस/एल0आई0यू0/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।
- (3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।

**(स) कार्यवाही की अवधि:-**

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जांच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

**3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया**

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04..01 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई के सदस्य होते हैं। जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

**3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक**

श्रेणी	सुरक्षा	व्ययभार का प्रतिशत
सांसद/विधायक	(क)एक सुरक्षा कर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक (अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में)	(क) निःशुल्क (ख) 25 प्रतिशत पर
निवर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत
प्रदेश स्तरीय शासकी निगमों के अध्यक्ष/जिलापंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख/कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत
अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर		10 प्रतिशत
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

शासनादेश सं0-2301/6-पु0-2-2004-700(1)-2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उसके जीवन भय का आकलन का जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पडने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मा0 सांसद/विधायक/मा0 मन्त्रीगण एवं उच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्ती एवं श्रेणी बद्ध संरक्षित महानुभावो को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोडकर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर 20015/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर रु0 2001/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आर्किंक शाखा में जमा करायी जाती है।

### **3.3.9 शस्त्र लाईसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया**

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के परिपत्र संख्या 2/98 दिनांक 14.10.98 के अनुसार)

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	15 दिवस में
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी द्वारा	03 दिवस में
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस में
5	अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण द्वारा जांच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण	06 दिवस में
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाईसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	संबंधित कां0 द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

### **3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया**

#### **3.310.1 प्राइवेट वेरिफिकेशन**

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क 20/- सम्बन्धित बैंक/ट्रेजरी में जमा कराया जाता है।	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस में
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	06 दिवस में
5	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	इस्पेक्टर एल०आई०यू० द्वारा	06 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

#### **3.3.10.2 पुलिस वेरिफिकेशन**

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस क्रमी के नियुक्ति स्थल से कर्मियों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
4	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	इस्पेक्टर एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

**3.3.10.3 सर्विस वेरीफिकेशन**

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवासी स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	03 दिवस में
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
4	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	इस्पेक्टर एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

**3.3.10.4 मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन**

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
	मिलीट्री विभाग में चयनित सेन्य कर्मियों के सत्यापन सेन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवासी स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	03 दिवस में
	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	इस्पेक्टर एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

**3.3.10.5 ठेकेदारी वेरीफिकेशन**

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपत-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रु शुल्क के रुप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय से सम्बन्धित लिपिक द्वारा अविलम्ब	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय से सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष/उ०नि० द्वारा	07 दिवस में
5	संबन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करना	संबन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
6	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	इस्पेक्टर एल०आई०यू० द्वारा	07 दिवस में
7	चरित्र सत्यापन संबन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रिक अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

**4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड**

**4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जाचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड**

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया
2	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्र की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जांच	उ०प्र० शासन के पत्र सं० 616भा/छ: वीजा अनुभाग -4- 2005-17/2/66/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 21 दिवस
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

**4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त**

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकां को दिए गये पूर्ण सम्मान करना
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढता व निष्पक्षता से निष्पादन करना
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना ।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना ।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना ।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है ।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है ।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना ।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बना. रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना ।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना ।

- .11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना ।
- .12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखने हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना ।
- .13. सर्वधर्म व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना ।

**5. कर्तव्य के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम विनियम निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख,**

**क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम**

- .1. पुलिस अधिनियम 1861
- .2. भारतीय दण्ड संहिता 1861
- .3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1861
- .4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- .5. उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- .6. साक्ष्य अधिनियम 1872
- .7. आर्म्स एक्ट 1959
- .8. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- .9. अनु०जाति व अनु० जनजाति० अधिनियम-1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि०1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधि०1955(उ०प्र० संशोधन अधि० 1980
- 12 चोर बाजारी नि० ओर आवश्यक वस्तु प्रघ अधि 1980
- 13 खाद्य अपनिश्रण नि० अधि०
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधि 1986
- 15 पशु अतिचार अधि० 1861
- 16 भ्राष्टाचार निवारण अधिनियम-1988
- 17 बन्दी अधिनियम-1900
- 18 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम-1867
- 19 किशोर न्याय अधिनियम-1986
- 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम-1980
- 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985
- 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1980
- 26 विस्फोटक अधिनियम-1884
- 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908
- 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1984
- 29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम-1958
- 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम-1956
- 31 महिलाओं का अशिक्ष रूपण प्रतिशेघ अधिनियम-1986
- 32 भारतीय वन अधिनियम-1937
- 33 वन संरक्षण अधिनियम-1980
- 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-2004
- 35 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम-1955
- 36 विष अधिनियम-1919
- 37 मानव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993
- 38 राष्ट्रिय मानवधिकार आय.ग प्रक्रिया विनयम-1994



- 39 रेल अधिनियम 1989  
 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957  
 41 रेल सम्पत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966  
 42 पुलिस बल(अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966  
 43 पुलिस द्रोह उद्धीपन अधिनियम-1922  
 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों( कानूनों का विस्तार अधिनियम-1952  
 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995  
 46 ब्याज अधिनियम 1978  
 47 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986  
 48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970  
 49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999  
 50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970  
 51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976  
 52 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948  
 53 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम-1983  
 54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियोसेवा नियमावली 1979  
 55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम-1944  
 56 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991  
 57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999  
 58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955  
 59 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम-1964  
 60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964  
 61 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964  
 62 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994  
 63 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000  
 64 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
 65 वित्तीय हस्त पुस्तिका  
 66 समय- समय पर निर्गत शसननादेश  
 67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

## .6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

### 6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधो के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि० कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों पर व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि०/ कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रख आणा राजपत्रित अधि० के आदेश पर ही नष्ट होगा

4	भगोडा(मफरर) रिजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5	रोकड बही	धनरिशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी पुलिस थानों पर व पुलिस लाईन में	एक वर्ष थाना इकाई में उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रुम में
6	आरोपत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थानों पर	एक साल
7	चिक खुराब	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रति पूर्ति है	सभी थानों पर	तीन साल
8	356 द0प्र0सं0 के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधीयो का विवरण	सभी थानों पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द0प्र0सं0 के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकोर्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधीयो का विवरण	सभी थानों पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
10	गोपनीय सप्ताहित रिपोर्ट	थाना क्षेत्र साम्प्रदीयिक राजनैतिक व अन्य गति विधियों की गोपनीय सूचना	सभी थानों पर	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए घटित घटनाओं वा विवरण	सभी पुलिस थानों पर	पाँच साल
12	चौकीदारो का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओ का विवरण	सभी चौकीदारों के पास	चौकीदार को जब तक नई नोच बुक प्रदान न की जाए
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं0 -08)	उस ग्राम में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप से
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी पुलिस थानों पर व पुलिस लाईन पर	एक साल पूर्ण होने के बाग
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानो/विवेचको के पास	पाँच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानो पर	एक साल
17	अगुछ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुछछाप लिया गया है	सभी थानो पर	स्थायी रूप से
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	सभी थानो पर	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थानो पर व डी0सी0आर0बी0 में	पूर्ष होने के पाँच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानो पर	दो साल
21	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थानो पर	तीन साल
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	सभी थानो पर	तीन साल

23	सूचि हिस्ट्रीशीट	दुराचारीयों का विवरण	सभी थानो पर	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानो पर	एक साल
25	निरीक्षक पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानो पर/ शाखाओं पर	पांच साल
26	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एंव बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानो पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्र0 पत्र	अभियुक्तो को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानो पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानो पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थानो पर	दो साल
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थानो पर	दो साल
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभियुचनार्ये	सभी थानो पर	स्थाई
32	परिपत्र सूचनाओ की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
34	अपराधी जनजातियो का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानो पर	उनके मृत्यु तक
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	समस्त थानो पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रो की सूची	समस्त थानो पर	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसिजर की सूची	समस्त थाने पर	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूचि	समस्त थानो पर	स्थायी
39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनो के संबंध में	समस्त थानो पर	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियो के संबंध में सूचना	समस्त थाने पर	स्थायी
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	समस्त थानो पर	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली तक जमानतों का विवरण	समस्त थानो पर	5 वर्षों तक
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	समस्त थानो पर	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्या0/अन्य कार्या0 में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानो/कार्या0 पर	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारो के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालय में	1 वर्षों तक

**6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख**

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्षों तक
2	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायलय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्षों तक
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्षों तक
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	1 वर्ष तक
7	विशेष अपराध पत्रावलियां	विशेष अपराधों का विवरण	स्थायी	स्थायी
8	जांच पत्रावलियां	शाकायतों की जांच के संबंध	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्षों तक

**6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख**

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्षों तक
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना-पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्षों तक
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	1 वर्ष तक
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
6	जांच प्रावलियां	शिकायतों की जांच के संबंध	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्षों तक

## 6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारी के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
2	हिस्ट्रीशीटइन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3	पुरुस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरुस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्षों तक
4	आर्डर बुक प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	5 वर्षों तक
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना-पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्षों तक
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	1 वर्ष तक
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9	सर्विस बुक/चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय में	स्थायी
10	कैश बुक/पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि परभारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मर्दों का क्रय व वितरण	पुलिस लाईन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है।	पुलिस लाईन	40 वर्षों तक

**.7. जनता की परामर्श दात्री समितियां**

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है –

क्र०सं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है ।	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय-समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेन्शनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उधमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सडक सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी की समिति		त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्भ्रांत व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/परामर्श के लिये	मासिक

**.8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय**

पुलिस संगठन में इस प्राकर की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है ।

**9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री****जनपद शामली के पुलिस अधिकारी के टेलीफोन नम्बर-**

पद पुलिस अधिकारीगण	नाम अधिकारीगण	आवास	कार्यालय नं0	सी0यू0जी0 नं0
पुलिस अधीक्षक शामली	श्री सुकीर्ति माधव	01398-255100	01398-254803	9454400429
अपर पुलिस अधीक्षक शामली।	श्री ओम प्रकाश सिंह	01398-254808	01398-254803	9454401129
क्षेत्राधिकारी शामली	श्री प्रदीप सिंह			9454401614
क्षेत्राधिकारी कैराना	श्री जितेन्द्र कुमार			9454401616
क्षेत्राधिकारी भवन	श्री अमित सक्सेना			9454405230
प्रतिसार निरीक्षक शामली	श्री हरप्रीत सिंह		01398-250255	9454405129
फायर सर्विस	श्री दीपक शर्मा		01398-250062	9454408787
निरीक्षक अभिसूचना शाखा	श्रीमती पूनम			9454405128
जिला नियंत्रण कक्ष	श्री पवन कुमार शर्मा			9454405124
प्रभारी कोतवाली शामली	श्री पंकज त्यागी		01398-252977 7839866069	9454404083
थानाध्यक्ष आदर्श मण्डी	श्री सुनील नेगी		01398-250791 7839866077	9454404074
थानाध्यक्ष बाबरी	श्री नेम सिंह		01398-275003 7839866142	9454404059
थानाध्यक्ष थानाभवन	श्री प्रभाकर कैतुरा		01398-233223 7839866140	9454404085
थानाध्यक्ष गढीपुख्ता	श्री महावीर सिंह		01398-223801 7839866139	9454404065
थानाध्यक्ष सिंझाना	श्री श्यामवीर सिंह		01398-244403 7839866121	9454404068
थानाध्यक्ष कैराना	श्री प्रेमवीर राणा		01398-266321 7839866090	9454404069
थानाध्यक्ष कांधला	श्री रोजन त्यागी		01398-222235 7839866118	9454404071
महिला थाना	श्रीमती नीरज चौधरी			9454404089

टिप्पणी:- सी.यू.जी. मो.नं. राजपत्रित अधिकारियों के नाम से आवंटित है जो कि अधिकारी के स्थानान्तरण के साथ परिवर्तित हो जाएंगे। थानाध्यक्षों के सी.यू.जी. मो.नं. पदनाम से आवंटित हैं जो कि यथावत रहेंगे।

**.10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	पुलिस अधीक्षक	रु० 131100-216600-8900	900	450
2	अपर पुलिस अधीक्षक	रु० 67700-2087100-76000	900	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	रु० 56100-177500-6600	900	300
4	निरीक्षक	रु० 444900-142400-5400	1200	188
5	उप-निरीक्षक	रु० 35400-112400-5400	1200	188
6	मुख्य आरक्षी	रु० 25500-81100-2400	1500	188
7	आरक्षी	रु० 21700-69100-2000	1500	188
8	अनुचर	रु० 18000-56900-1900	1350	188

**.10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	रेडियो निरीक्षक	रु० 44900-142400-5400	900	188
2	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी /रे० केन्द्र अधिकारी	रु० 44900-142400-5400	900	188
3	हेड आपरेटर	रु० 25500-81100-2400	1500	188
4	सहायक परिचालक	रु० 21700-69100-2000	1500	188
5	अनुचर/सन्देशवाहक	रु० 18000-56900-1900	1500	188

**.10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	अग्नि शमन अधिकारी	रु० 56100-177500-7600	900	300
2	द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी	रु० 44900-142400-5400	1200	188
3	लीडिंग फायरमैन/हे०का० ड्रा० फायर सर्विस	रु० 21700-69100-2400	1500	188
4	फायरमैन	रु० 21700-69100-2000	1500	188
5	अनुचर	रु० 18000-56900-1900	1500	188



**.10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त वेतन/पारितोषिक**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	एस०आई० (एम)	रु० 35400-112400-5400	1200	188
2	ए०एस०आई० (एम०)	रु० 29200-92300-4200	1200	188
3	उर्दू अनुवादक यह कनिष्क लिपिक	रु० 29200-92300-2800	1500	188

**.10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	भत्ता
1	मुख्य आरक्षी	रु० 25500-81100-2400	1500	188	100
2	आरक्षी	रु० 21700-69100-2000	1500	188	100

188

**.10.6 स्तानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक**

क्र०सं०	पद	वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1	निरीक्षक	रु० 44900-142400-5400	1200	150
2	उप-निरीक्षक	रु० 35400-112400-5400	1200	80
3	मुख्य आरक्षी	रु० 25500-81100-2400	1500	30
4	आरक्षी	रु० 21700-69100-2000	1500	20

## .11. बजट

क्र०सं०	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019			
		अनुदान	व्यय	शेष अनुदान	समर्पित
1	वेतन	643503000	612581774	30921226	-
2	मंहगाई	85016000	95364443	-	-
3	अन्य भत्ते	18358500	30028237	-	-
4	यात्रा भत्ता	8210000	8077948	132052	-
5	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	1025000	1025000	-	-
6	अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय	589653	470708	118945	-
7	विद्युत/प्रकाश व्यय	7391998	747898	-	-
8	छपाई पर व्यय/स्टेशनरी	-	-	-	-
9	अपराधियों घायलों तथा लोगो के परिवहन पर व्यय	-	-	-	-
10	टेन्टो की मरम्मत	-	-	-	-
11	साईकिल का क्रय/मरम्मत	158120	158120	-	-
12	अंश कालिन मजदूरों का वेतन	1285000	1285000	-	-
13	अभियुक्तों के भोजन पर व्यय	63500	635000	-	-
14	पुरस्कार	-	-	-	-
15	वर्दी की मरम्मत	-	-	-	-
16	मार्ग रक्षकों का व्यय	-	-	-	-
17	टेलीफोन का व्यय	12200	12200	-	-
18	पेट्रोल-डीजल पर व्यय व वहानों की मरम्मत पर व्यय	10210000	10210000	-	-

## .12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

## .13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवर

.14. इलेक्ट्रानिक रूप में सूचनाओं की उपलब्धता

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जाता

.15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ०पु०अ० शामिली संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 17.00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचा निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि(10 रु० प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु० प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु० प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिती में 250 रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु० अधिकतम) भी देय होगा

.34.

.16 लोक सूचना अधिकारी के नाम व पदनाम

क्र०सं०	राज्य जन सूचना अधिकारी , का नाम व पद	राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद नाम	अपीलीय अधिकारी का पदनाम
1	श्री ओम प्रकाश सिंह , अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली (9454401129)	. 1. श्री प्रदीप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर, (9454401614) .2. श्री जितेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी कैराना, (9454401616) .3. श्री अमित सक्सैना, क्षेत्राधिकारी थानाभवन (9454405230)	श्री सुकीर्ती माधव, पुलिस अधीक्षक, शामली (9454400429)

टिप्पणी:- सी.यू.जी. मों.नं. राजपत्रित अधिकारियों के नाम से आवंटित हैं जो कि अधिकारी के स्थानान्तरण के साथ परिवर्तित हो जाएंगे।

.17. अन्य कोई विहित सूचना शून्य।